अज अदालत उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा मुकाम कोटडी

आजाद मोहम्मद पिता सतार मोहम्मद निवासी – हुरडा   बनाम   शहाबुदीन पिता अमीरदीन मुसलमान निवासी– हुरडा

किस्म मुकदमा–प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–128 रा.ले.रेवे. एक्ट   **प्रकरण संख्या– 15/20**

09.05.2018	प्रत्रावली आज लोक अदालत केम्प कोर्ट कोटडी पर पेश हुई प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि आराजी मुतदाविया प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात हैं। विपक्षीगण उक्त आराजियात के पडौसी हैं। जिनको भूमि सीमा की जानकारी नही होने से वह आये दिन जमीन की कमी बेशी को लेकर विवाद करते रहते हैं। इसलिये प्रार्थी अपने खातेदारी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अन्त में कथन किया कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमावें। हमने वकील प्रार्थी को सुना। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कोटडी आराजी नं.– 215, रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि के खातेदार/काश्तकार दर्ज रेकार्ड होना प्रकट आया हैं। तदनुसार प्रार्थी उक्त भूमि के पत्थरगढ़ी कराने के अधिकारी पाये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य हैं। **–:आदेश:–** प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का कोटडी आराजी नं.– 215 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा भूमि के पडौसियान को सूचित कराया जाकर कब्जे की स्थिति को यथावत रखते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक– आगुंचा_ को 500/–रूपये (अक्षरे– पॉच सौ रू0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार हुरडा को भिजवाई जावे। पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर करें। आदेश आज दिनांक 09.05.2018 को खुली लोक अदालत में सुनाया गया। **उपखण्ड अधिकारी** **एवं पदेन सहायक कलेक्टर** **गुलाबपुरा केम्प**